भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1939
दिनांक 11 मार्च, 2025 / 20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थी

†1939. श्री हरिभाई पटेलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या के बारे में विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) मार्च 2025 तक इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत और वितरित निधि के बारे में विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना का लाभार्थियों के लिए शैक्षिक या रोजगार के अवसरों पर कोई प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा भविष्य में इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के अंतर्गत, वर्ष 2006-07 में इसकी शुरुआत से लेकर वर्ष 2023-24 तक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राज्य पुलिस के कार्मिकों के बच्चों और विधवाओं के लिए कुल 49,189 छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए पीएमएसएस की मेरिट सूची मार्च, 2025 के बाद तैयार की जाएगी। 1,39,96,72,276/- रुपये (एक सौ उनतालीस करोड़, छियानवे लाख, बहत्तर हजार, दो सौ छिहत्तर रुपये) की कुल स्वीकृत राशि में से, वर्ष

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1939, दिनांक 11.03.2025

2023-24 तक कुल 1,39,94,16,750/- रुपये (एक सौ उनतालीस करोड़, चौरानवे लाख, सोलह हजार, सात सौ पचास रुपये) वितरित किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ): प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना ने वित्तीय सहायता प्रदान करके, इसके लाभार्थियों के लिए शैक्षिक और रोजगार के अवसरों को उल्लेखनीय ढ़ंग से बढ़ाया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बाधाएँ कम हुई हैं और छात्रों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली है। वर्ष 2019-20 से, इस योजना का विस्तार नक्सली या आतंकवादी हमलों में अपनी जान गंवाने वाले राज्य पुलिस कार्मिकों के बच्चों को कवर करने के लिए किया गया है।

(ङ): सरकार ने समय-समय पर छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि की है, जिसका ब्योरा निम्नानुसार है: -

शैक्षणिक वर्ष	**राशि**	
	लड़कियों के लिए	**लड़कों के लिए**
2006-07 से 2011-12	1,500/- रुपये प्रतिमाह	1,250/- रुपये प्रतिमाह
2012-13 से 2018-19	2,250/- रुपये प्रतिमाह	2,000/- रुपये प्रतिमाह
2019-20 और इसके बाद	3,000/- रुपये प्रतिमाह	2,500/- रुपये प्रतिमाह

*****